उत्तराखण्ड शासन
औद्योगिक विकास अनुभाग–2
संख्याः 271 /121–उद्योग/07–T.C/VII-II/2011
देहरादूनः दिनांकः 08 फरवरी 2011

अधिसूचना

अधिसूचना संख्या 506/औ0वि0/07–उद्योग/2005–06 दिनांक 15.12.2005 से मै0 शिवगंगा इण्डस्ट्रियल इस्टेट, ग्राम–लकेश्वरी, भगवानपुर, जिला हरिद्वार के खसरा संख्या 02 मध्ये 0.0151 है0, खसरा संख्या–03 मध्ये 0.0424 है0, खसरा संख्या–04 मध्ये 0.0567 है0, खसरा संख्या–05 मध्ये 0.0953, है0 खसरा संख्या–35 मध्ये 0.0278 है0, खसरा संख्या–53 मध्ये 0.0274 है0, खसरा संख्या–94ज मध्ये 0.0470 है0, खसरा संख्या–27 ख मध्ये 0.0578 है0, खसरा संख्या–28 मध्ये 0.0124 है0, खसरा संख्या–33 मध्ये 0.0285 है0, खसरा संख्या–34 मध्ये 0.0370 है0, खसरा संख्या–63 मध्ये 0.0324 है0, खसरा संख्या–65 मध्ये 0.0262 है0, तथा खसरा संख्या–135म मध्ये 0.0400 है0 कुल 14 किता मध्ये 0.5460 है0 को विलोपित करते हुए विनिमय में आस्थान के साझेदारों को प्राप्त ग्राम लकेशरी, परगना–भगवानपुर, तहसील–रूड़की, जिला हरिद्वार के भूमि के खसरा संख्या–19 मध्ये 0.0530 है0, खसरा संख्या–37 मध्ये 0.0990 है0, खसरा संख्या–69 मध्ये 0.0570 है0, खसरा संख्या–75 मध्ये 0.0550 है0, खसरा संख्या–83 मध्ये 0.0160है0, खसरा संख्या–126 मध्ये 0.0300 है0, खसरा संख्या–62 मध्ये 0.0800 है0, एवं खसरा संख्या–119 मध्ये 0.1420 है0, कुल 08 किता क्षेत्रफल–0.5320 है0 आस्थान के अन्तर्गत शासनादेश संख्या–506/औ.वि./07–उद्योग/2005–06 दिनांक 15.12.2005 में उल्लिखित तथा निम्नलिखित शर्तो/प्रतिबन्धों के साथ अधिसूचित किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

1. अर्जित औद्योगिक आस्थान की भूमि, आस्थान के साझेदार प्रवर्तक के नाम अभिलेखों में विनिमय हो चुकी है। अतः आस्थान के नियोजित विकास हेतु कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व GIDCR-2005 के उपबन्धों के अनुरूप (i) कृषि भू– उपयोग से औद्योगिक भू–उपयोग परिवर्तन सुनिश्चित कराना होगा और (ii) तत्पश्चात औद्योगिक आस्थान तथा आस्थान में स्थापित होने वाली औद्योगिक इकाईयों के भवन मानचित्र उत्तराखण्ड राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण से स्वीकृत कराना अनिवार्य होगा।

2. औद्योगिक आस्थान के रख–रखाव, अवस्थापना सुविधाओं के विकास तथा अन्य नागरिक सुविधाओं का दायित्व, आस्थान के प्रवर्तक कम्पनी का होगा। आवंटी इकाईयों को आवंटन से पूर्व आस्थान में उपलब्ध करायी जाने वाली अवस्थापना सुविधाओं तथा अन्य के संबंध में स्पष्ट सभी सूचनायें उपलब्ध करायी जायेगी।

3. आस्थान को विकसित करने के लिये विभिन्न विभागों जैसे वन एवं पर्यावरण विभाग, राजस्व विभाग, अग्नि शमन विभाग, उत्तरांचल पावर कारपोरेशन आदि से वांछित विभिन्न स्वीकृति/अनुमति/अनुमोदन/ अनापत्ति आदि जो भी वोछित औपचारिकतायें अपेक्षित होगी, वह प्रवर्तक/कम्पनी द्वारा स्वयं पूर्ण की जायेगी।

4. सभी आवंटियों से यह अण्डरटेकिंग ली जायेगी कि आस्थान में उद्योग स्थापना के उपरान्त 70 प्रतिशत नियमित रोजगार/सेवायोजन स्थानीय व प्रदेश के लोगों को उपलब्ध करायां जायेगा, तथा भूमि/भूखण्ड की Sale Deed/ लीज डीड में भी इस शर्त को उल्लिखित किया जायेगा।

क्रमशः–2–

5. निजी औद्योगिक आस्थान के विकास हेतु औद्योगिक विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन तथा निदेशक उद्योग, उत्तराखण्ड द्वारा समय–समय पर जारी दिशा निर्देशों, यथा प्रदेश की औद्योगिक नीति के अन्तर्गत ऐसी औद्योगिक इकाईयां, जिन्हें राज्य सरकार द्वारा हतोत्साहित किया जा रहा है अथवा जो भारत सरकार की नकारात्मक सूची में सम्मिलित है, की स्थापना औद्योगिक आस्थान में नहीं की जायेगी।
6. प्रवर्तक कम्पनी द्वारा आस्थान में भूखण्डों की निर्धारित की गई दरों, विपणन तथा विकास आदि के संबंध में महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र/ निदेशक उद्योग, उत्तराखण्ड को समय–समय पर सूचना नियमित रूप से उपलब्ध करायी जायेगी।

7. उपरोक्त उल्लिखित प्रतिबन्धों/शर्तों का उल्लघंन करने पर अथवा किसी कारणों से जिसे शासन उचित समझता हो सक्षम अधिकारी के अनुमोदन से यह अधिसूचना (नोटिफिकेशन) निरस्त की जा सकती है।

(एस0 राजू)
प्रमुख सचिव

पृष्ठांकन संख्याः 271 (1)/121–उद्योग/07–T.C/VII-II/2011 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उत्तराखण्ड शासन।
2. निदेशक, उद्योग, उत्तराखण्ड, उद्योग निदेशालय, देहरादून।
3. स्टाफ ऑफिसर, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन को मुख्य सचिव महोदय के अवलोकनार्थ
4. संयुक्त सचिव, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक नीति संवर्द्धन विभाग) नई दिल्ली।
5. अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, उत्तराखण्ड राज्य ऊर्जा निगम, ऊर्जा भवन, देहरादून।
6. मुख्य अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, देहरादून।
7. अध्यक्ष, समस्त उद्योग संघ, उत्तराखण्ड, देहरादून।
8. जिलाधिकारी, हरिद्वार।
9. प्रबन्ध निदेशक, सिडकुल, देहरादून।
10. मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उत्तराखण्ड, देहरादून।
11. सचिव, उत्तराखण्ड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, देहरादून।
12. महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र, रूड़की (हरिद्वार)।
13. मै0 शिवगंगा इण्डस्ट्रियल इस्टेट, ग्राम–लकेश्वरी, भगवानपुर, जिला हरिद्वार।
14. NIC, उत्तराखण्ड, सचिवालय परिसर को इस अनुरोध के साथ कि उक्त अधिसूचना को वेबसाईट में प्रकाशित करने का कष्ट करें।
15. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(एस0 राजू)
प्रमुख सचिव।

8.2.07